न्यायालय परगनाधिकारी/असि0कले0 प्रथम श्रेणी, बिसवाँ जनपद सीतापुर

वाद स0– 5

धारा 80उ0प्र0रा0सं02006
ग्राम सुखावाकलां परगना व
तहसील बिसवां–सीतापुर।

कान्ती सेवा संस्थान बनाम ग्राम सभा सुखावाकलां।

निर्णय

प्रार्थिनी कान्ती सेवा संस्थान मकान नं0 397अभिलाषा एल्डिको 11रायबरेली रोड लखनऊ द्वारा विन्ध्यवासिनी महाविद्यालय पटेलनगर देवियापुर मजरा सुखावाकलां परगना व तहसील बिसवां जिला सीतापुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र उ0प्र0रा0सं02006 की धारा 38 के अन्तर्गत इस आशय से दिया गया है कि प्रार्थी ने भूखण्ड संख्या 427 स्थित ग्राम सुखावाकलां परगना व तहसील बिसवां जिला सीतापुर के जुज अंश 0.744हे0 को विन्ध्यवासिनी संस्थान को खोलने हेतु क्रय किया है, बैनामा के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेखों मे बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है तथा गाटा संख्या 428 स्थित ग्राम सुखांवाकलां परगना व तहसील बिसवां जिला सीतापुर के जुज अंश 0.284हे0 प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेखों मे बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज है। यह भूखण्ड गाटा संख्या 427 से मिला हुआ है। प्रार्थिनी उक्त दोनों भूखण्डों को कृषि भूमि से अलग आवासीय प्रयोग कर रही है। अतः गाटा संख्या 427मि0 रकबा 0.744हे0 तथा गाटा संख्या 428मि0 रकबा 0.284हे0 को आवासीय घोषित कराने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र की जाच तहसीलदार बिसवां द्वारा करायी गयी जांच आख्यानुसार ग्राम सुखावाकलां परगना व तहसील बिसवां की खतौनी बर्ष 1421फ0 से 1426फ0 के खाता संख्या 329 पर गाटा संख्या 428 क्षेत्रफल 0.951हे0 रामलखन पुत्र ईश्वरदीन निवासी देवियापुर व कान्ती सेवा संस्थान मकान नं0 397 अभिलाषा एल्डिको 11 रायबरेली रोड लखनऊ द्वारा मां विन्ध्यवासिनी महाविद्यालय पटेलनगर देवियापुर मजरा सुखावाकलां के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर अंकित है तथा गाटा संख्या 427 क्षेत्रफल 0.906हे0 श्रीमती विमलादेवी पत्नी धरमेश्वर व सीमा पत्नी कमलेश व बसन्ती पत्नी दिवाकर निवासी देवियापुर व कान्ती देवी सेवा संस्थान मकान नं0 397 अभिलाषा एन्डिको 11 रायबरेली रोड लखनऊ द्वारा मां विन्ध्यवासिनी महाविद्यालय पटेलनगर देवियापुर म0 सुखावांकलां प्रबन्धक कान्ती देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित है। गाटा संख्या 427 मे बैनामा के अनुसार कान्ती देवी सेवा संस्थान का 0.744हे0 क्षेत्रफल है तथा गाटा संख्या 428 मे 0.284हे0 क्षेत्रफल है। मौके पर व शजरे के अनुसार गाटा संख्या 427, 428 मिले हुए है। इन दोनो गाटा संख्याओं मे कान्ती देवी का भाग उत्तर की तरफ है। कान्ती देवी द्वारा दोनों गाटा संख्याओं की मेड तोड कर आपस मे मिला दिया गया है। इन दोनो गाटा संख्याओं मे भवन निर्माणाधीन है। वर्तमान मे गाटा संख्या 428 मे 0.100हे0 पर तथा गाटा संख्या 427 के 0.084 हे0 क्षेत्रफल पर भवन निर्माणाधीन है तथा शेष क्षेत्रफल मौके पर खाली पडा है। खाली क्षेत्रफल के दोनो तरफ बाउन्ड्री बाल बनी है जिसमे भवन निर्माण सामग्री पडी है। अतः गाटा संख्या 427/0.744हे0 व गाटा संख्या 428/0.284हे0 को अकृषिक घोषित करने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, पत्रावली का सम्यक अनुशीलन किया गया तत्परचात तहसीलदार बिसवां द्वारा प्रेषित जांच आख्या से सहमत होते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम सुखावाकलां परगना व तहसील बिसवां जिला सीतापुर की गाटा संख्या 427 रकबा 0.744हे0 व गाटा संख्या 428 रकबा 0.284हे0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

28/02/17
(यू0पी0सिंह)
परगनाधिकारी/असि0कले0 प्रथम श्रेणी
बिसवाँ–सीतापुर

दिनांकः– 28/02/17

नकल आदेश दिनांक 28.2.17, न्यायालय परगनाधिकारी/सहा० कलेक्टर प्रथम श्रेणी बिसवां की पत्रावली वाद संख्या 5 अन्तर्गत धारा 80 उ०प्र०रा०सं०, ग्राम - सुजावाकलां, परगना व तहसील - बिसवां, जिला - सीतापुर / मुकदमा कान्ती सेवा संस्थान बनाम ग्राम सभा सुजावाकलां / तारीख दायरा - 21.2.17, तारीख फैसला - 28.2.17 /

प्रतिलिपि कार्यालय उपजिलाधिकारी बिसवां जिला सीतापुर द्वारा जारी की गयी /

पक्षकार

कान्तीसेवासंस्थान ———— वादी

572
01.3.17

बनाम

ग्राम सभा सुजावाकलां ———— प्रतिवादी